

न्यायालय- सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),
लखीमपुर-खीरी।
वाद संख्या-752/2022

नीरज कुमारी

बनाम

लक्ष्मन उर्फ लक्ष्मीचन्द्र आदि।

30-11-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। परिवादिनी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रस्तुत प्रकरण में विगत कई तिथियों से परिवादिनी उपस्थित नहीं आ रही है। आज भी बार-बार पुकार कराये जाने पर न तो कोई उपस्थित आया और न ही हाजिरी-माफी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है परिवादिनी को वाद में कोई रुचि शेष नहीं रह गयी है। मामले को लम्बित रखने का कोई तर्क संगत आधार प्रतीत नहीं होता है।

अतः परिवादिनी की अनुपस्थित में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी की अनुपस्थित में वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक:30-11-2023

(रजत कुमार यादव)
सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
लखीमपुर-खीरी।